न्या०ए०डी०जे०, कोर्ट नं०–१, फतेहपुर

एस०टी०नं०–११४/२०१७

२१.०९.२०२१

पुकार करायी गयी। अभियुक्त चुन्नू पाल मय अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र ६१ब के निस्तारण हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र ६१ब पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त चुन्नू पाल की ओर से प्रार्थनापत्र ६१ब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह अन्य मुकदमें में दिनांक ०१.०१.२०२१ को जेल में रहने के कारण जरिये वकील मुकदमा लड़ता रहा। उक्त मुकदमें में दिनांक २६.०३.२०२१ को पी०डब्लू०–१ के बयान हुए, लेकिन उसके अधिवक्ता अस्वस्थ रहने के कारण जिरह करने थोड़ा देर से पहुँचे, लेकिन तब तक माननीय न्यायालय द्वारा उसका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था। जिरह का अवसर दिए बिना मुकदमें का निस्तारण न्याय की मंशा के अनुरुप नहीं है। अतः साक्षी पी०डब्लू०–१ से जिरह करने का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त की ओर से मात्र मुकदमें को विलम्बित करने के आशय से उक्त प्रार्थनापत्र दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक २६.०३.२०२१ को साक्षी पी०डब्लू०–१ का बयान अंकित किया गये और उसी दिन ४.३० बजे तक अभियुक्त की ओर से जिरह हेतु किसी के उपस्थित न होने के कारण जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया। न्याय की मंशा को देखते हुये अभियुक्त को साक्षी पी०डब्लू०–१ से जिरह की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ६१ब साक्षी पी०डब्लू०–१ के आने जाने के खर्चे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक १२.१०.२०२१ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।